उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्या-17/2023/437639/60-1099/158/2022
लखनऊःदिनांकः 03 अप्रैल, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 में चयनित श्री ऋषान्त कुमार श्रीवास्तव को जनपद-फतेहपुर में जिला परिवीक्षा अधिकारी के पद पर पे-मेट्रिक्स-वेतन लेवल-10 (वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0 5400/-) में निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उ0प्र0 परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2004 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों/नियमों के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाता है।

(2) परिवीक्षा अवधि के अन्त में सम्बन्धित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्थायी की जायेगी, यदि विहित प्रशिक्षण उनके द्वारा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया जाता है, उनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाया जाता है, उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त हैं।

(3) इन पर समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित सेवा शर्तें लागू होंगी।

(4) उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, उनकी सेवायें किसी भी समय 01 माह की नोटिस अथवा इसके एवज में 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती हैं।

(5) संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नही होगा।

2- इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर निम्नलिखित सूचनायें/ प्रमाण-पत्र के साथ निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष अभ्यर्थी अपना योगदान प्रस्तुत करेगें। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर पुनः अवधि नही बढ़ायी जायेगी। निदेशक, महिला कल्याण निम्नलिखित अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों की जांच करने के उपरान्त ही उन्हें योगदान कराया जाना सुनिश्चित करेंगेः-

- केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गई सेवा के संबंध में घोषणा।
- अपने दिवालिया नहीं होने की घोषणा।
- एक से अधिक जीवित पत्नी न होने की घोषणा।
- समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण।
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटो ग्राफ।
- राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रद्त्त चरित्र संबंधी 02 नवीन प्रमाण-पत्र।

3- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा विभाग की संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में योगदान करने वाले अभ्यर्थी को 15 दिनों का निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम निदेशक, महिला कल्याण द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसमें आहरण/वितरण से संबंधित कार्य, विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्य एवं विभिन्न गृहों के संचालन से संबंधित कार्यों को विशेष रूप से सम्मिलित किया जायेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के पश्चात् ही अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जनपद में जिला परिवीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया जायेगा।

4- उपरोक्त अभ्यर्थी को वेतन योगदान करने की तिथि से देय होगा।

अनामिका सिंह
सचिव

संख्या-17/2023/437639(1)/60-1099/158/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-167/1/ई-3 /2021-22, दिनांक 14.11.2022 के क्रम में।
2- संयुक्त सचिव, कार्मिक अनुभाग-4 को उनके पत्र संख्या-235/आयोग/47-का-4-2022, दिनांक 06.12.2022 के संदर्भ में।
3- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि वे अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों का परीक्षण कराते हुये उन्हें योगदान कराने का कष्ट करें तथा योगदान कराने के पश्चात् 15 दिन का प्रशिक्षण प्रदान कराते हुये संबंधित जनपद में तैनाती हेतु अवमुक्त किया जाय।
4- श्री ऋषान्त कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, 188, वार्ड नम्बर-3, अमवार रोड, दुद्धी रोड, सोनभद्र, उ0प्र0, पिन कोड-231208
5- गार्ड फाइल।

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।